साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। & ओआरएस।

वी.

एम/एस। एस. कुमार का संगठन ए. के. एम. (जेवी)

(2016 की सिविल अपील संख्या 4358)

23 जुलाई, 2021

[संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

अनुबंधः उत्खनन और ड्रिलिंग कार्य के लिए उपकरण और मशीन किराए पर लेने के लिए निविदा का निमंत्रण-उत्तरदाता था

दस्तावेज़-प्रत्यर्थी ने स्थल पर संसाधन जुटाए और अपीलार्थी ने स्थल हस्तांतरण का पत्र जारी किया-इसके तुरंत बाद प्रत्यर्थी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि ट्रक में लगे ड्रिल मशीन को एक बड़ी खराबी का सामना करना पड़ा-प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को लिखा कि मशीन की खरीद लगभग तीन महीने के बाद ही अपेक्षित थी-अपीलार्थी ने अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पत्र जारी किया-आयोजितः एन. आई. टी. के खंड 29.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरस्कार की अधिसूचना केवल निष्पादन प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने के लिए अनुबंध के गठन का गठन करेगी इस प्रकार, इसे स्पष्ट रूप से एक पूर्व शर्त के रूप में रखा गया था और वह भी पुरस्कार की अधिसूचना के 28 दिनों के भीतर किया जाना था-प्रत्यर्थी ने, न तो प्रस्तुत किया निष्पादन सुरक्षा जमा और न ही सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए परिणामस्वरूप, कार्य आदेश भी जारी नहीं किया गया था और न ही अनुबंध निष्पादित किया गया था-इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्षों के बीच एक निष्कर्षित अनुबंध पर पहुंचा गया था-इस प्रकार, अनुबंध के उल्लंघन का मामला नहीं बनाया गया था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो गया था। [पैरा 18] [20-डी]

8 साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। & ओआरएस। वी. एम/एस। एस. कुमार का संगठन ए. के. एम. (जेवी)

2. प्रत्यर्थी ने न तो प्रदर्शन सुरक्षा जमा जमा किया और न ही अखंडता समझौते पर हस्ताक्षर किए। नतीजतन, कार्य आदेश भी जारी नहीं किया गया था और न ही अनुबंध निष्पादित किया गया था। इस प्रकार, विवादास्पद बिंदु यह होगा कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा स्थल पर जुटाना पक्षों के बीच एक समापन अनुबंध के बराबर होगा। इसका जवाब नकारात्मक होगा। [पैरा 19] [20-ई-जी]

इस तरह का इरादा इसकी शर्तों से स्पष्ट है। लेकिन फिर ऐसा करने का इरादा स्पष्ट और स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि यह सामान्य रूप से इरादे के पत्र को समझने के तरीके से एक विचलन लेता है। [पैरा 20] [20-जी-एच; 21-ए-बी] 4. वर्तमान मामले में अनुबंध के निष्पादन की अवधि एक वर्ष थी। प्रत्यर्थी ने कुछ कठिनाइयों का सामना करते हुए महीने भर साइट पर काम किया-इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्वयं प्रत्यर्थी द्वारा बनाया गया था या अपीलार्थियों के लिए जिम्मेदार था। किए गए काम के लिए कोई राशि नहीं दी गई थी। प्रत्यर्थी एलओएल के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहा। यह केवल प्रदर्शन प्रतिभूति जमा न करने का मामला नहीं है, बल्कि सत्यनिष्ठा समझौते पर भी कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, न ही अनुबंध को निष्पादित करने में विफलता के कारण कार्य आदेश जारी किया गया था। [पैरा 22] [21-एफ-एच]

5. एन. आई. टी. के खंड 29.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरस्कार की अधिसूचना अनुबंध विषय के गठन का गठन करेगी।

केवल प्रदर्शन प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा को प्रस्तुत करने के लिए। इस प्रकार, इसे स्पष्ट रूप से एक पूर्व शर्त के रूप में रखा गया था और वह भी पुरस्कार की अधिसूचना के बाद 28 दिनों के भीतर किया जाना था। आवश्यकता का पालन करने में सफल बोलीदाता की विफलता पुरस्कार कार्य को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार का गठन करेगी। और खंड 30.2 के अनुसार बोली प्रतिभूति को जब्त करना। खंड 34 के संदर्भ में, एकीकृत समझौते को प्रस्तुत करने में विफलता निविदा बोली को काफी हद तक उत्तरदायी नहीं बनाती है और इसे अस्वीकार किया जा सकता है। " [पैरा 22] [22-बी-डी] [2021] 8 एस. सी. आर.

6. इस बात की परिभाषा कि अनुबंध क्या है

खंड (ix) में ही एन. आई. टी., निविदा की स्वीकृति, सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार के पक्षकारों के बीच निष्पादित किया जाने वाला औपचारिक समझौता और बोली सुरक्षा राशि शामिल है। [पैरा 23] [22-डी-ई]

7. उपरोक्त का परिणाम यह है कि जैसा कि उचित रूप से माना जाता है

आक्षेपित आदेश के बारे में अपीलकर्ता केवल बोली प्रतिभूति राशि को जब्त कर सकते हैं और इस प्रकार यह निर्देश दिया गया था। चूंकि प्रत्यर्थी के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई की पूर्व शर्त के रूप में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं से दिनांकित 04.08.2010 के अंतरिम आदेश के संदर्भ में Rs.10 लाख की राशि जमा करने का आह्वान किया है, इसलिए बोली सुरक्षा राशि को Rs.10 लाख की राशि में से काटने और प्रत्यर्थी को शेष राशि वापस करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा

24] [22 - ई-एफ]

जवाहर लाल बर्मन बनाम। भारत संघ [1962] 3 एससीआर

769 ; ड्रेसर रैंड एस. ए. वी. बिंदल एग्रो केम लिमिटेड और

एन. आर. (2006) 1 एससीसी 751 [2006] 1 एससीआर 308; राजस्थान

कॉप। डेयरी फेडरेशन लिमिटेड बनाम। महा लक्ष्मी मिंग्रेट

विपणन सेवा (पी) लिमिटेड (1996) 10 एस. सी. सी. 405: [1996]

6 पूरक। एससीआर 368; भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड बनाम। राज्य

प्रदेश और अन्र। वी. गोबर्धन दास कैलाश नाथ फर्म (1973) 1 एस. सी. सी. 668 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[1962] 3 एससीआर 769

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[2006] 1 एससीआर 308

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[1996] 6 पूरक। एससीआर 368

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

(2017) 2 एससीसी 125

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

(1973) 1 एस. सी. सी. 668

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4358

2016 से।

उच्च न्यायालय के 07.11.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 की रिट याचिका (सी) संख्या 4158 में छत्तीसगढ़, बिलासपुर।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। & ओआरएस। वी. एम/एस। एस. कुमार का संगठन ए. के. एम. (जेवी)

एस. बी. उपाध्याय, डॉ. राजेश पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , तारकेश्वर नाथ, निशांत कुमार, हर्षित सिंह, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुश्री मृदुला

रे भारद्वाज, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, अपीलार्थी सं। 1 यह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है। अपीलार्थी नं. 1 एच. ई. एम. एम. और संबंधित उपकरणों को किराए पर लेने के काम के लिए एक निविदा जारी की गई, जिसमें खुदाई करने के लिए उपयुक्त स्लंप ब्रेकर (जिसमें सभी प्रकार के स्तरों/अधिभारों में ड्रिलिंग शामिल है), परिवहन, अतिरिक्त प्रतीक्षा सामग्री और गाद को उतारने के लिए खुदाई करने वाली मशीनें शामिल हैं।

डंपिंग डोज़िंग स्क्रैपिंग/रिमूवल बैंड की तैयारी/रखरखाव सड़क के पानी का छिड़काव और साइट पर सामग्री का प्रसार और प्रबंधन/पैच डी के प्रभारी अभियंता, भटगांव क्षेत्र के महान I ओसीएम के निर्देश के अनुसार 23.06.2009 पर। बोलियां प्राप्त हुईं और उत्तरदाता सफल बोलीदाता था। इसे ध्यान में रखते हुए एक आशय पत्र ('एल. ओ. एल.') जारी किया गया था, जिस पर No.2415 दिनांक 05.10.2009 अंकित था, जिसमें कुल 500 करोड़ रुपये के काम का अनुबंध दिया गया था। 387.40 एक लाख। लोल में कहा गया हैः

उत्तरदाताओं को जुटने का निर्देश दिया गया था

आई.

न्यूनतम संभालने के लिए कार्य निष्पादित करने के लिए उपकरण

आवंटित सी. यू. एम. प्रति दिन और "तुरंत काम शुरू करें"। उक्त उद्देश्य के लिए प्रतिवादी को "तत्काल काम शुरू करने" के लिए भटगांव क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था।

ii.

प्रत्यर्थी को प्रदर्शन जमा करने के लिए कहा गया था

निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार एल. ओ. एल. की प्राप्ति की तारीख से 28 दिनों के भीतर वार्षिक अनुबंध राशि के कुल 5 प्रतिशत के लिए प्रतिभूति जमा।

समझौता करने से पहले सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करें

111 .

निविदा दस्तावेज के अनुसार।

कार्य आदेश जारी किया जाएगा और समझौता होगा

iv.

क्षेत्र कार्यालय में निष्पादित किया जाए।

कार्य प्रारंभ होने की तिथि सूचित की जा सकती है -

वी.

जारीकर्ता कार्यालय और समझौता [2021] 8 एस. सी. आर. के भीतर किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28 निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार दिन।

2. प्रत्यर्थी ने, एल. ओ. आई. के अनुसरण में, स्थल पर संसाधन जुटाए और एक माप दल अपीलार्थी नं. 1 जैसा कि दिनांकित 09.10.2009 पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। 28.10.2009 पर, अपीलार्थी ने स्थल हस्तांतरण/स्वीकृति प्रमाण पत्र का एक पत्र जारी किया, जिसे कार्य शुरू होने की तारीख के रूप में लिया जाना था।

3. जाहिरा तौर पर इसके तुरंत बाद प्रत्यर्थी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और प्रत्यर्थी के 05.12.2009 दिनांकित पत्र में लिखा है कि हालांकि काम पूरी ईमानदारी से और काफी मात्रा में शुरू किया गया था। अधिक बोझ को हटा दिया गया था, प्रतिवादी द्वारा नियोजित ट्रक माउंटेड ड्रिल मशीन को एक बड़ी खराबी का सामना करना पड़ा। इस प्रकार, प्रत्यर्थी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से काम को निलंबित करना पड़ा। स्थिति को सुधारने या वैकल्पिक मशीनरी की व्यवस्था करने का प्रयास सफल नहीं हुआ और पत्र में कहा गया है कि नई मशीनों की खरीद लगभग तीन महीने के बाद ही होने की उम्मीद थी। संविदात्मक संबंध स्पष्ट रूप से बिगड़ गए क्योंकि 09.12.2009 पर, अपीलकर्ताओं ने एक पत्र जारी किया जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा लागू अनुबंध की शर्तों और नियमों और विनियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से आगे कारण बताने के लिए कहा कि दंडात्मक कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जाए-(ए) काम की समाप्ति; (बी) प्रत्यर्थी कंपनी को काली सूची में डालना; और (सी) अन्य ठेकेदार को काम के निष्पादन का पुरस्कार।

उत्तरदाता।

4. इस संबंध में संचार का आदान-प्रदान जारी रहा और

दिनांक 1 के पत्र के माध्यम से, अपीलकर्ताओं ने उत्तरदाताओं के ध्यान में लाया कि वे प्रदर्शन प्रतिभूति जमा जमा करने में विफल रहे, जिसे निविदा की शर्तों के अनुसार एल. ओ. एल. की प्राप्ति की तारीख से 28 दिनों के भीतर जमा करने की आवश्यकता थी। आई. डी. 1 पर एक अन्य कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी को सूचित किया गया था कि अपीलकर्ताओं के पास प्रत्यर्थी को दिए गए काम को समाप्त करने और सामान्य नियम और शर्तों के खंड 9 के संदर्भ में प्रत्यर्थी के जोखिम और लागत पर अन्य ठेकेदार द्वारा इसे निष्पादित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और 23.12.2009 पर, एक बार फिर, समाप्ति का नोटिस जारी किया गया था। प्रतिवादी ने उसी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि काम नहीं किया जा सकता है

उनके जोखिम और लागत पर निष्पादित किया गया क्योंकि सामान्य नियम और शर्तें कभी भी एन. आई. टी. का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि अनुबंध का हिस्सा थीं जिन्हें पार्टियों के बीच कभी निष्पादित नहीं किया गया था। वास्तव में, प्रतिवादी ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पर आपत्ति जताई।

& ओआरएस। वी. एम/एस। एस. कुमार का संगठन ए. के. एम. (जे. वी.) [संजय किशन कौल, जे.]

उनके जोखिम और लागत पर किए जाने वाले कार्य के लिए खंड का आह्वान। अपीलार्थी सामान्य नियम और शर्तों के खंड 9 पर भरोसा नहीं कर सका। कार्य की अंतिम समाप्ति 15.04.2010 दिनांकित पत्र के माध्यम से की गई थी।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद काम किसी अन्य ठेकेदार को अधिक कीमत पर दिया गया और उसके कारण दिनांकित एक पत्र दिया गया।

16.07.2010 अपीलकर्ताओं द्वारा प्रत्यर्थी को जारी किया गया था जिसमें Rs.78,07,573/- की राशि की मांग की गई थी, जो प्रत्यर्थी और नए ठेकेदार के बीच अनुबंध मूल्य में अंतर है।

6. प्रतिवादी ने अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक रिट याचिका दायर की

भारत के संविधान ने 15.04.2010 दिनांकित समाप्ति पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए 16.07.2010 दिनांकित वसूली आदेश को रद्द कर दिया। रिट याचिका को अपीलार्थियों द्वारा चुनौती दी गई थी जिन्होंने अपना जवाबी हलफनामा दायर किया था। दिनांक 1 के विवादित फैसले के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राय दी कि अनुबंध पर लागू सामान्य नियमों और शर्तों को आकर्षित करने के लिए पक्षों के बीच कोई स्थायी अनुबंध नहीं था। एन. आई. टी. के विभिन्न खंडों को संदर्भित किया गया था और यह राय दी गई थी कि पक्षों के बीच एक वैध अनुबंध नहीं हो सकता है क्योंकि यह एन. आई. टी. द्वारा कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन था। प्रत्यर्थी, जो कभी पूरा नहीं हुआ, अर्थात प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करना; और इसका परिणाम यह हुआ कि अपीलार्थी कार्य के पुरस्कार को रद्द करने और बोली प्रतिभूति को जब्त करने के अपने अधिकारों के भीतर था। इस प्रकार, केवल बोली प्रतिभूति की जब्ती को बरकरार रखा गया था, जबकि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रत्यर्थी की तुलना में किसी अन्य ठेकेदार को अनुबंध देने में अतिरिक्त राशि की वसूली करने का प्रयास नहीं किया गया था।

पुनर्प्राप्त करने योग्य। हम देख सकते हैं कि रिट याचिका को स्वीकार करने और नोटिस जारी करने के चरण में, प्रतिवादी को दिनांकित 04.08.2010 आदेश के माध्यम से Rs.10 लाख की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था और उसी के अधीन प्रतिवादी से किसी भी राशि की वसूली के प्रयास पर रोक लगा दी गई थी। इस प्रकार, अंतिम आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि बोली प्रतिभूति राशि में कटौती करने के बाद,

Rs.10 लाख में से शेष राशि प्रत्यर्थी को वापस की जानी थी।

7. अपीलार्थी ने उक्त आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की और 08.02.2013 पर नोटिस जारी किया गया। रुपये की शेष राशि वापस करने का निर्देश। 10 बोली की प्रतिभूति राशि में कटौती करने के बाद अगले आदेश तक रोक लगा दी गई थी। 13.04.2016 पर छुट्टी दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. अपीलार्थियों के मामले का आधार एक याचिका पर आधारित है।

यह कि 28 दिनों के भीतर वार्षिक अनुबंध राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित प्रदर्शन प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता के साथ-साथ समझौते में प्रवेश करने से पहले अखंडता समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता समझौते के निष्पादन के लिए एक पूर्व शर्त नहीं थी, बल्कि एक "बाद की शर्त" थी। विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत 28.10.2009 से कार्य का निष्पादन शुरू करने से, प्रत्यर्थी द्वारा कार्य के पुरस्कार की स्वीकृति थी। वास्तव में, प्रत्यर्थी ने 05.12.2009 दिनांकित पत्र को देखा

लोल। इस प्रकार, अनुबंध के औपचारिक निष्पादन की अनुपस्थिति के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले अपीलार्थियों के दावे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अनुबंध।

9. एक 'पूर्ववर्ती शर्त' और एक 'बाद की शर्त' के बीच के अंतर को मुद्दे का मूल होने का अनुरोध किया गया था और नहीं किया गया था

उच्च न्यायालय द्वारा सराहा गया। उनके तर्क का समर्थन करने के लिए विद्वान वकील ने दो निर्णयों का उल्लेख कियाः (क) जवाहर लाल बर्मन बनाम। भारत संघ 1 और (ख) ड्रेसर रैंड एस. ए. बनाम। बिंदल एग्रो केम लिमिटेड & Anr.²

10. जवाहर लाल बर्मन 3 मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह था कि उसमें प्रतिवादी द्वारा निविदा स्वीकार कर ली गई थी, जिसके बारे में आरोप लगाया गया था कि उसने अनुबंध को समाप्त कर दिया था। इसमें प्रत्यर्थी का मामला यह था कि अनुबंध अनुबंध की सामान्य शर्तों द्वारा शासित था जिसमें एक मध्यस्थता समझौता शामिल था। सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की भी जांच की कि क्या दोनों पक्षों के बीच कोई अनुबंध हुआ था या नहीं। प्रस्तुत निविदा इस शर्त पर थी कि निविदा की स्वीकृति पर ठेकेदार अपने द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपूर्ति विभाग के सचिव के विकल्प पर प्रतिभूति जमा जमा करेगा। एक और शर्त यह निर्धारित की गई कि यदि बुलाए जाने पर

उक्त प्रतिभूति जमा करने पर, ठेकेदार अवधि के भीतर प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहता है, इस तरह की विफलता अनुबंध का उल्लंघन होगी जो विरोधी पक्ष को ठेकेदार के जोखिम और स्वीकृति पर अन्य व्यवस्था करने का अधिकार देती है। ठेकेदार ने यह तर्क देना चाहा कि स्वीकृति

पत्र ने पूर्व-मौजूदा स्थिति को बदल दिया और प्रतिभूति जमा को स्वीकृति के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती बना दिया और इस प्रकार, कोई नहीं था

1 (1962) 3 एस. सी. आर. 769 2 (2006) 1 एस. सी. सी. 751 साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड।

& ओआरएस। वी. एम/एस। एस. कुमार का संगठन ए. के. एम. (जे. वी.) [संजय किशन कौल, जे.]

पत्र के रूप में पूर्ववर्ती शर्त, साथ ही निविदा की शर्तों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुबंध इसकी स्वीकृति से समाप्त हुआ था। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7 में किसी प्रस्ताव की स्वीकृति को पूर्ण और अयोग्य और सशर्त नहीं होने की आवश्यकता है। मामले के तथ्यों में स्वीकृति को बिना शर्त पाया गया और इस संबंध में कदम उठाए गए क्योंकि अनुबंध को शीघ्रता से निष्पादित करने का इरादा था। नारियल तेल की डिलीवरी के लिए जिसकी आपूर्ति 21 दिनों के भीतर की जानी थी। इस प्रकार, प्रतिभूति जमा को बाद की शर्त माना गया।

11. ड्रेसर रैंड एस. ए. 4 में, अनुबंध आपूर्तिकर्ता द्वारा एल. ओ. एल. की प्राप्ति पर लागू होना था। सुप्रीम कोर्ट ने माना

कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि एक एल. ओ. एल. केवल भविष्य में दूसरे पक्ष के साथ अनुबंध करने के पक्ष के इरादे को इंगित करता है और अंततः किसी भी पक्ष को अनुबंध करने के लिए बाध्य करने का इरादा नहीं है। इस संबंध में राजस्थान सहकारी समिति में एक पूर्व निर्णय में टिप्पणी की गई है। डेयरी फेडरेशन लिमिटेड बनाम। महा लक्ष्मी मिंग्रेट विपणन सेवा (पी) Ltd.5 को पृष्ठ 773 पैरा 39 पर संदर्भित किया गया था, जो नीचे दिया गया हैः

" आशय पत्र ने केवल एक अनुबंध में प्रवेश करने का इरादा व्यक्त किया। ..... इस स्तर पर अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं था और अपीलार्थी को यह तय करने में परिस्थितियों की समग्रता को देखने का अधिकार था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ बाध्यकारी अनुबंध करना है या नहीं। हालाँकि,
इसके बाद एक चेतावनी दी गई कि यह भी नहीं हो सकता है

यह विवादित है कि एक आशय पत्र को स्वीकृति पत्र के रूप में माना जा सकता है यदि ऐसा इरादा इसकी शर्तों से स्पष्ट है। विस्तृत प्रक्रिया वाले अनुबंधों में यह असामान्य नहीं है कि समय बचाने के लिए, प्रस्ताव की स्वीकृति को सूचित करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया जाता है जिसमें ठेकेदार को इस शर्त के साथ काम शुरू करने के लिए कहा जाता है कि विस्तृत अनुबंध बाद में तैयार किया जाएगा। हालाँकि इस तरह के पत्र को आशय पत्र कहा जा सकता है,

4 सुप्रा

5 3 (1996) 10 एससीसी 405 [2021] 8 एस. सी. आर.

यह प्रस्ताव की स्वीकृति के बराबर हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप पक्षों के बीच एक संपन्न अनुबंध हो सकता है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर "पत्र की शर्तों के संदर्भ में" निर्णय लिया जाना है। यह भी देखा गया कि जहां लेन-देन के पक्षकारों ने आशय पत्रों का आदान-प्रदान किया है, ऐसे पत्रों की शर्तों में नकारात्मक संविदात्मक इरादा हो सकता है, लेकिन जहां भाषा का नकारात्मक संविदात्मक इरादा नहीं है, अदालतों के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए खुला है कि पक्षकार दस्तावेज़ से बाध्य हैं और अदालतें ऐसा करने के लिए इच्छुक होंगी जहां पक्षों ने दस्तावेज़ पर लंबे समय तक काम किया है या उस पर निर्भर रहने के लिए काफी धन खर्च किया है।

लोल को "इस आदेश" और "इस अनुबंध" के रूप में संदर्भित किया गया था और इस प्रकार, यह तर्क दिया गया था कि लोल को खरीद आदेश के रूप में माना जाए। अदालत ने एल. ओ. एल. की शर्तों का सामंजस्यपूर्ण रूप से यह पता लगाने के लिए कि एल. ओ. आई. का प्रभाव यह था कि यदि खरीद आदेश दिए गए थे और एल. सी. खोले गए थे तो आपूर्तिकर्ता एल. ओ. एल. में बताए गए मूल्यों पर निर्धारित समय के भीतर आपूर्ति करने के लिए बाध्य था। लोल में उपयोग किए गए शब्दों के बावजूद इसकी व्याख्या कार्य क्रम के रूप में नहीं की गई थी।

प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने पहले निर्णय के पैरा 39 में चर्चा किए गए पहलू पर जोर देने की मांग की।

ड्रेसर रैंड एस. ए. 6 मामला, जिसमें राजस्थान सहकारी समिति में इस न्यायालय के पहले के दृष्टिकोण का उल्लेख करके एक एल. ओ. एल. की राय दी गई थी। डेयरी फेडरेशन लिमिटेड 'मामला। उन्होंने आगे भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले को संदर्भित करने की मांग की। ओडिशा राज्य 3 ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि लोल क्या होता है। पत्र का नामकरण निर्धारक कारक नहीं होगा, लेकिन पत्र की मूल प्रकृति यह निर्धारित करेगी कि क्या इसे एक लोल के रूप में माना जा सकता है, जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार है।

शब्दकोश का अर्थ है उन पक्षों के बीच प्रारंभिक समझ जो

एक अनुबंध करने या किसी अन्य कार्य में एक साथ शामिल होने का इरादा रखें। कुछ पूर्ववर्ती उदाहरणों का भी उल्लेख किया गया था। वास्तव में ड्रेसर रैंड में निर्णय

8 (2017) 2 एससीसी 125 9 9 ऋषि किरण लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। कांडला पोर्ट ट्रस्ट और अन्य के न्यासी मंडल (2015) 13 एस. सी. सी. 233

10 (ऊपर)

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। & ओआरएस। वी.

एस. कुमार का संगठन ए. के. एम. (जे. वी.) [संजय किशन कौल, जे.]

1 मामला भी उसमें निर्दिष्ट किया गया था, विशेष रूप से पैरा 39 और

विचाराधीन लोल को अधिक बाध्यकारी अनुबंध नहीं माना गया था क्योंकि संभावित सी के साथ पट्टे के लाइसेंस में प्रवेश करने के लिए केंद्र सरकार की "पूर्व मंजूरी" की आवश्यकता होगी। लोल को केवल एक अनुबंध में प्रवेश करने के इरादे के बराबर माना गया था जो अन्य सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद होगा।14. उनकी दलीलों को साबित करने के लिए, ओन्डेंट के विद्वान वकील ने एन. आई. टी. और एल. ओ. एल. के विभिन्न खंडों का उल्लेख किया। निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट चींटी खंड निम्नानुसार हैं:

" 29. पुरस्कार की अधिसूचना और समझौते पर हस्ताक्षरः 29.1 बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकार कर ली गई है, उसे बोली की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले केबल, टेलेक्स और पंजीकृत पत्र द्वारा पुष्टि की गई प्रतिकृति द्वारा नियोक्ता द्वारा पुरस्कार के बारे में सूचित किया जाएगा। यह पत्र (इसके बाद और अनुबंध की शर्तों में जिसे "स्वीकृति पत्र" कहा जाता है) उस राशि को बताएगा जिसे नियोक्ता अनुबंध द्वारा निर्धारित ठेकेदार द्वारा कार्यों के निष्पादन और पूरा करने के विचार में ठेकेदार को भुगतान करेगा।

29.2 पुरस्कार की अधिसूचना अनुबंध के गठन का गठन करेगी, जो केवल खंड 30 के अनुसार प्रदर्शन प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने के अधीन होगी। 29.3 इस समझौते में स्वीकृति पत्र के साथ पुरस्कार की अधिसूचना के 28 दिनों के भीतर नियोक्ता और सफल बोलीदाता के बीच सभी समझौतों को शामिल किया जाएगा।

30. प्रदर्शन सुरक्षा/सुरक्षा जमा 30.1 प्रतिभूति जमा में दो भाग होंगेः

ए। कार्य के पुरस्कार पर प्रदर्शन प्रतिभूति प्रस्तुत की जानी चाहिए और

बी। चालू बिलों से वसूल की जाने वाली प्रतिधारण राशि।

प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। 30.2 निष्पादन प्रतिभूति अनुबंध राशि के वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत होना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा एल. ओ. ए. की प्राप्ति के 28 दिनों के भीतर दिए गए किसी भी प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नीचेः

- बोली दस्तावेज में दिए गए प्रपत्र में एक बैंक गारंटी।

सरकार. प्रतिभूतियाँ, एफ. डी. आर. या किसी अन्य प्रकार की जमा राशि

मालिक। - साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की शाखा में देय किसी भी अनुसूची बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट।

बैंक गारंटी के रूप में बोली प्रतिभूति जमा का विधिवत निर्वहन किया जाएगा और ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की गई बोली प्रतिभूति को प्रारंभिक प्रतिभूति जमा के साथ समायोजित किया जाएगा।

यदि सफल बोलीदाता द्वारा बैंक गारंटी के रूप में प्रदर्शन प्रतिभूति प्रदान की जाती है तो इसे या तो जारी किया जाएगाः

ए। राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित भारतीय बैंक द्वारा बोलीदाता के विकल्प पर, या

बी। भारत में स्थित एक विदेशी बैंक द्वारा और नियोक्ता को स्वीकार्य, सी। बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की अवधि के बाद एक वर्ष या नब्बे दिनों की अवधि के लिए होगी, जो भी हो।

कार्य के पुरस्कार को रद्द करना और बोली प्रतिभूति को जब्त करना। 34. सत्यनिष्ठा समझौता

एस. ई. सी. एल. ने मेसर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के कार्यों के अनुबंधों में अखंडता समझौते के कार्यान्वयन के लिए। बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले अखंडता समझौते के दस्तावेज़ को अनुलग्नक "डी" के माध्यम से संलग्न किया गया है। इस निविदा के लिए विधिवत हस्ताक्षरित, मुहर लगाए गए और स्वीकार किए गए अखंडता समझौते के दस्तावेज़ को प्रस्तुत करना अनिवार्य है और यह निविदा दस्तावेज़ का अभिन्न अंग है। यदि यह प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निविदा को काफी हद तक उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है और इसे अस्वीकार किया जा सकता है।

... .

.....

भाग 3: अनुबंध की शर्तें/सामान्य नियम और शर्तें

1. परिभाषाः ix. "अनुबंध" का अर्थ होगा निविदा आमंत्रित करने की सूचना, कंपनी द्वारा स्वीकार की गई निविदा और कंपनी और ठेकेदार साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीच निष्पादित औपचारिक समझौता।

& ओआरएस। वी. एम/एस। एस. कुमार का संगठन ए. के. एम. (जे. वी.) [संजय किशन कौल, जे.]

सामान्य नियम और शर्तों, विशेष शर्तों, यदि कोई हो, अनुसूची मात्राओं सहित उसमें निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ

दरें और राशि, कार्य अनुसूची के साथ।

2.0 अनुबंध दस्तावेज आई. समझौते के लेख,

ii. निविदा आमंत्रित करने पर ध्यान दें,

iii. बोली/निविदा में शामिल अनुबंध की शर्तों से विचलन, यदि कोई हो, का संकेत देने वाला निविदा की स्वीकृति पत्र

बोलीदाता को जारी किया गया दस्तावेज़, iv. सामान्य नियम और शर्तें, अतिरिक्त नियम और शर्तें, विशेष शर्तें, यदि कोई हों, आदि सहित अनुबंध की शर्तें।

वी. कार्यों का दायरा/मात्रा के बिल और vi. अंतिम कार्य कार्यक्रम "।

15. विद्वान वकील ने उपरोक्त खंड 29.2 पर बहुत जोर दिया, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि पुरस्कार की अधिसूचना के गठन का गठन होगा

अनुबंध, खंड 30 के अनुसार प्रदर्शन प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा के प्रस्तुत करने के लिए "केवल विषय"। निष्पादित किया जाने वाला समझौता पक्षों के बीच सभी शर्तों को शामिल करना था। प्रतिभूति जमा न देने का परिणाम अंत में खंड 30.2 में निर्दिष्ट किया गया था, अर्थात, यह पुरस्कार कार्य को रद्द करने और बोली प्रतिभूति को जब्त करने के लिए पर्याप्त आधार का गठन करना था। खंड 34 के संदर्भ में जिसमें सत्यनिष्ठा समझौते के दस्तावेज़ को विधिवत हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं करने का परिणाम यह था कि निविदा पर विचार किया जाना था

काफी हद तक प्रतिक्रियाशील नहीं है और अस्वीकार किया जा सकता है। अंत में धारा 3 के तहत अनुबंध की शर्तें/सामान्य नियम और शर्तें जहां खंड (ix) में यह परिभाषित किया गया था कि एक अनुबंध का अर्थ एन. आई. टी. और अपीलार्थियों और अपीलार्थियों के बीच निष्पादित किया जाने वाला औपचारिक समझौता होगा।

सामान्य नियम और शर्तों, विशेष शर्तों, यदि कोई हो, का संकेत देने वाले दस्तावेजों के साथ उत्तरदाता दरों और राशि, कार्य की अनुसूची के साथ मात्रा निर्धारित करता है।

16. यह आगे तर्क दिया गया कि निविदा की स्वीकृति और अनुबंध के निष्पादन के बाद, कार्य आदेश जारी किया जाना था जो भी जारी नहीं किया गया था क्योंकि प्रारंभिक का पालन नहीं किया गया था। लोल को उपरोक्त संदर्भ में यह दिखाने के लिए भी संदर्भित किया गया था कि कुछ भी नहीं किया गया था-सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्य की शुरुआत, और इसे अपने आप में एक निष्कर्षित अनुबंध नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, वह यह था कि जमीनी वास्तविकताओं को देखते हुए, प्रत्यर्थी ने पाया कि अनुबंध को निष्पादित करना संभव नहीं था और इस प्रकार, उससे दूर चला गया, जिसका परिणाम केवल बोली का ज़ब्त होना हो सकता था। प्रतिभूति राशि, जैसा कि विवादित आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है, एक पहलू है जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रति अपील दायर करके हमला किया जाता है। प्रत्यर्थी ने जो कुछ भी किया है, उसके लिए अपीलार्थी द्वारा उसे भुगतान नहीं किया गया है।

17. मध्य प्रदेश और अन्र राज्य में भी फैसले का संदर्भ दिया गया था। वी. फर्म गोबर्धन दास कैलाश नाथ "जहाँ में

सरकारी बिक्री के लिए निविदा के संबंध में खरीद मूल्य का 25 प्रतिशत प्रारंभिक जमा एक आवश्यक पूर्व शर्त थी जिसका निविदा की स्वीकृति या मंजूरी के लिए पालन नहीं किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए क्या आवश्यक था, यानी लिखित और निर्धारित प्रपत्र में और 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं की जा रही थी, इसे ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच कोई अनुबंध किया गया था।

निष्कर्ष

18. उपरोक्त याचिकाओं के संदर्भ में मामले पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो गया था।

19. हम पहले ही पुरस्कार पत्र की शर्तों को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं और उन्होंने प्रतिवादी को क्या करने के लिए अनिवार्य किया है। इनमें से कोई नहीं

आदेशों को पूरा किया गया सिवाय इसके कि प्रतिवादी ने स्थल पर उपकरण जुटाए, स्थल को सौंप दिया और कार्य शुरू करने की तारीख दिनांकित 28.10.2009 पत्र के माध्यम से तय की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इस पत्र को अपीलार्थी के कार्यालय द्वारा अपीलार्थी के उप क्षेत्र प्रबंधक को संबोधित किया गया है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी ने न तो प्रदर्शन सुरक्षा जमा जमा किया और न ही अखंडता समझौते पर हस्ताक्षर किए। नतीजतन, कार्य आदेश भी जारी नहीं किया गया था और न ही अनुबंध निष्पादित किया गया था। इस प्रकार, विवादास्पद बिंदु यह होगा कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा स्थल पर जुटाना पक्षों के बीच एक समापन अनुबंध के बराबर होगा। इसका जवाब नकारात्मक होगा।

1 1 एयर 1973 एससी 1164: : (1973) 1 एस. सी. सी. 668 12 ड्रेसर रैंड एस. ए. (ऊपर); राजस्थान कॉप। डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (ऊपर)

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। & ओआरएस। वी. एम/एस। एस. कुमार का संगठन ए. के. एम. (जे. वी.) [संजय किशन कौल, जे.]

और एन. आई. टी. की शर्तें, एल. ओ. एल. और पक्षों का आचरण। हमारे सामने न्यायिक विचार इस प्रस्ताव पर थोड़ा संदेह छोड़ते हैं कि एक एल. ओ. एल. केवल एक पक्ष के साथ अनुबंध करने के इरादे को इंगित करता है।

भविष्य में दूसरी पार्टी। 12 1 2 इस स्तर पर पक्षों के बीच कोई बाध्यकारी संबंध नहीं उभरता है और परिस्थितियों की समग्रता होनी चाहिए प्रत्येक मामले में विचार करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आशय पत्र को एक बाध्यकारी अनुबंध के रूप में समझना संभव है यदि ऐसा इरादा इसकी शर्तों से स्पष्ट है। लेकिन फिर ऐसा करने का इरादा स्पष्ट और स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि यह सामान्य रूप से इरादे के पत्र को समझने के तरीके से एक विचलन लेता है। इस अदालत ने ड्रेसर रैंड S.A.¹3 13 मामले में विचार किया कि

ऐसे मामले जहां तत्काल आधार पर काम शुरू करने की चिंता के कारण बाद में एक विस्तृत अनुबंध तैयार किया जाता है। उस मामले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अनुबंध आपूर्तिकर्ता द्वारा पत्र की प्राप्ति पर लागू होगा, और फिर भी एक समग्र विश्लेषण पर-यह माना गया कि एल. ओ. आई. को कार्य आदेश के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है।

21. इसी तरह अगर हम जवाहर लाल बर्मन 1 4 मामले में इस अदालत के फैसले में चर्चा किए गए दस्तावेजों का अर्थ लगाते हैं तो यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "अनुबंध इस स्वीकृति से समाप्त होता है और कोषागार रसीद की प्राप्ति के तुरंत बाद निविदा की औपचारिक स्वीकृति होगी"। इस प्रकार, एक बार फिर, यह निर्धारित किया गया है कि अनुबंध किस समय समाप्त होगा, भले ही यह बाद में प्रतिभूति राशि जमा करने के अधीन था। इन परिस्थितियों में प्रतिभूति जमा की आवश्यकता को पूर्ववर्ती शर्त के रूप में नहीं बल्कि बाद की शर्त के रूप में माना गया था। हमें अनुबंध की प्रकृति की भी सराहना करनी होगी जो 21 दिनों के भीतर नारियल तेल की पूरी मात्रा की आपूर्ति की तत्काल आवश्यकता के लिए था। लोल में ही यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि निर्धारित राशि जमा करने में किसी भी विफलता को संपर्क का उल्लंघन माना जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, जहाँ परिणाम

यह केवल बोली सुरक्षा राशि को जब्त करना था, और 'पुरस्कार' को रद्द करना था, न कि 'अनुबंध' को। 22. यदि हम वर्तमान मामले में उपरोक्त परिदृश्य की तुलना करते हैं, तो अनुबंध के निष्पादन की अवधि एक वर्ष थी। प्रत्यर्थी ने कुछ कठिनाइयों का सामना करते हुए महीने भर साइट पर काम किया-यह मायने नहीं रखता कि क्या यह स्वयं प्रत्यर्थी द्वारा बनाया गया था।

या अपीलार्थियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। किए गए काम के लिए कोई राशि नहीं दी गई थी। प्रत्यर्थी एल. ओ. आई. के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहा। यह.

अनुबंध को निष्पादित करने में विफलता के कारण जारी किया गया। इस प्रकार, हमारा विचार है कि अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों में से कोई भी वर्तमान मामले की संविदात्मक स्थिति में उनकी सहायता के लिए नहीं आएगा। अपीलार्थी जवाहर लाल बर्मन 1 5 मामले और ड्रेसर रैंड S.A.[1]6 मामले के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णय, यदि कोई ऐसा कह सकता है प्रत्यक्ष रूप से किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए एन. आई. टी. और एल. ओ. एल. के प्रासंगिक खंडों को देखा जाना चाहिए। एल. ओ. एल. की शर्तों के उत्तरदाता द्वारा गैर-अनुपालन पर चर्चा करने पर हम एन. आई. टी. की ओर रुख करते हैं। खंड 29.2

स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि पुरस्कार की अधिसूचना प्रदर्शन प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने के लिए "केवल विषय" अनुबंध के गठन का गठन करेगी। इस प्रकार, इसे स्पष्ट रूप से एक पूर्व शर्त के रूप में रखा गया था और वह भी पुरस्कार की अधिसूचना के बाद 28 दिनों के भीतर किया जाना था। खंड 30.2 के अनुसार आवश्यकता का पालन करने में सफल बोलीदाता की विफलता "पुरस्कार कार्य को रद्द करने और बोली प्रतिभूति को जब्त करने के लिए पर्याप्त आधार का गठन करेगी"। यदि हम सत्यनिष्ठा समझौते से संबंधित खंड 34 का विश्लेषण करते हैं तो इसे प्रस्तुत करने में विफलता निविदा बोली को "पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं बनाएगी और इसे अस्वीकार किया जा सकता है।"

23. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि क्या एक गठन की परिभाषा

खंड (ix) के अनुसार अनुबंध में ही एन. आई. टी., निविदा की स्वीकृति, सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार के पक्षकारों के बीच निष्पादित किया जाने वाला औपचारिक समझौता और बोली सुरक्षा राशि शामिल है।

24. उपरोक्त का परिणाम यह है कि जैसा कि उचित रूप से माना जाता है

आक्षेपित आदेश जो कुछ भी अपीलार्थी कर सकते हैं वह बोली प्रतिभूति राशि को जब्त करना है और इस प्रकार, यह इस प्रकार निर्देशित किया गया था। चूंकि प्रतिवादी के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई की पूर्व शर्त के रूप में, उच्च न्यायालय ने आह्वान किया

अपीलकर्ताओं को दिनांकित 04.08.2010 के अंतरिम आदेश के संदर्भ में Rs.10 लाख की राशि जमा करने के लिए, रुपये की राशि में से बोली सुरक्षा राशि में कटौती करने का निर्देश दिया जाता है। 10 लाख और उत्तरदाता को शेष राशि वापस करने के लिए। आवश्यक कार्य अब दो महीने के भीतर करना होगा क्योंकि इस न्यायालय के दिनांक 08.02.2013 के अंतरिम आदेश के अनुसार इस तरह के धनवापसी पर रोक लगा दी गई है।

25. हम तदनुसार अपील को खारिज करते हैं और पक्षों को सहन करने के लिए छोड़ देते हैं

अपनी खुद की लागत।

26. अंतरिम आदेश जारी किया जाता है।

15 सुप्रा 16 सुप्रा

देविका गुजराल

या

चिका खारिज कर दी गई।